प्राक्कथन

मार्च 2009 को समाप्त वर्ष के लिए यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अन्तर्गत भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

राजस्व प्राप्तियों-संघ सरकार के अप्रत्यक्ष करों की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 16 के अन्तर्गत की जाती है।

इस प्रतिवेदन में शामिल की गई आपत्तियां वर्ष 2008-09 के दौरान की गई निष्पादन लेखापरीक्षा के परिणामों से चुनी गई हैं और इनमें 2005-06 से 2007-08 की अवधि के दौरान राजस्व का संग्रहण शामिल है।

सिफारिशों सहित हमारी लेखापरीक्षा के परिणाम इस प्रतिवेदन में शामिल हैं।